

स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर LOCAL HEAD OFFICE, JAIPUR

e-Circular Letter Deptt.: GBU

S.No.: 02/2019-20 Date: 15.06.2019

सभी शाखाओं/ नियंत्रकों व स्थानीय प्रधान कार्यालय के विभागाध्यक्षों के लिए

ई-मित्र कियोस्कों के लिए नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी

राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के ई-गवर्नेस पहल के अंतर्गत ई-मित्र पोर्टल बनाया गया है। एक ही स्थान पर सरकारी व निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा व पारदर्शिता के लिए ये पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरिशप (पीपीपी) मॉडल में प्रत्येक जिले में कार्यरत हैं। राजस्थान में 60,000 ई-मित्रों में से 35000 से ज्यादा हमारे साथ बैंकिंग करते हैं।

- 2. राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के अन्रोध पर सक्षम प्राधिकारी
- ने ई-मित्र कियोस्कों को नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की है :-
 - क) ई-मित्र कियोस्क सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
 - ख) ई-मित्र कियोस्क का भारतीय स्टेट बैंक में न्यूनतम मासिक औसत शेष (MAB) रु. 10,000 / के साथ चालू खाता (प्रॉडक्ट कोड रेगुलर 5011-2401 में) हो।
 - ग) ई-मित्र कियोस्क से जो राशि DOIT-Emitra (Rajcomp Info) में हमारी तिलक मार्ग जयपुर स्थित शाखा के पूलिंग खाता संख्या 61201212107 में अंतरित की जाएगी , केवल वही राशि नकदी हैंडलिंग प्रभारों की माफी के लिए ली जाएगी।
 - घ) उपर्युक्त माफी दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 31-03-2020 की अविध के लिए लागू रहेगी।
- कृपया तदनुसार संसूचित हों एवं पिरपत्र की विषय-वस्तु से सभी पिरचालन स्टाफ को अनुपालनार्थ निर्देश प्रदान करें।

(विनीत कुमार) उप महाप्रबंधक (डीजिटल एवं टीबीयू)



स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर LOCAL HEAD OFFICE, JAIPUR

e-Circular Letter Deptt.: GBU

S.No.: 02/2019-20 Date: 15.06.2019

All Branches/Controlling Authorities and Departmental Heads at Head Office

Waiver of Cash Handling Charges for e-Mitra Kiosks

The Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan has developed e-Mitra portal under the e-Governance initiative of Govt. of Rajasthan (GOR). It has been implemented in all the districts of the state using public-private partnership (PPP) model for the convenience and transparency to citizens, in availing various services of Government and private sectors under the same roof. There are at present 60,000+ e-Mitras operating in the Rajasthan, of which 35000+ are banking with us.

- 2. At the request of the DOIT&C, Govt. of Rajasthan, we advise that the Competent Authority has accorded for waiver of cash handling charges of e-Mitra kiosks subject to following conditions:
 - a) Valid certificate should be presented by e-Mitra kiosks, issued from DOIT&C, Govt. of Rajasthan.
 - b) A Current account with Product code Regular(5011-2401) to be maintained by e-Mitra Kiosks in SBI with minimum MAB(Monthly Average Balance) of Rs.10,000/-
 - c) The amount transferred from e-Mitra kiosks to DOIT-Emitra (Rajcomp Info) pooling account no 61201212107, maintained at our Tilak Marg branch, will only be considered for the calculation of wavier of cash handling charges.
 - d) The above waiver will be applicable for the period of 01-04-2019 to 31-03-2020.
- 3. Please be guided accordingly and bring the contents of the circular to the notice of all operating staff for compliance.

(Vinit Kumar)
Deputy General Manager (D & TB)